समक्ष महाबीर सिंह सिंधु, न्यायमूर्ति।

हुक्मी देवी-अपीलार्थी

बनाम

जी. एम. हरियाणा रोडवेज कैथल और अन्य- प्रत्यर्थी

2001 का एफ. ए. ओ. संख्या ***4059***

09 अगस्त, ***2018***

मोटर वाहन अधिनियम, ***1988***-धारा ***163***-ए और ***173*** -एम. ए. सी. टी. के समक्ष यह साबित किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या ***2*** द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के बेटे की मृत्यु हो गई थी-मृतक ***17*** वर्ष का था और उसने विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और एन. डी. ए. में प्रवेश प्राप्त किया था।- अधिनियम की धारा ***163***-ए के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची के अनुसार, न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय का आकलन ***15,000/-*** रुपये प्रति वर्ष किया और अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया।—उच्च न्यायालय के समक्ष केवल विवादास्पद मुद्दा यह था कि क्या मृतक की वास्तविक आय के अभाव में, अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के कारण ***40%*** वृद्धि का हकदार होगा-न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी भविष्य की विवरणिका के आधार पर वृद्धि का हकदार होगा, भले ही कोई आय न हो-अपील की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित, उस अपीलार्थी-दावेदार ने विधिवत साबित किया है कि मृतक की मृत्यु के समय आयु *17* वर्ष थी क्योंकि उसकी जन्मतिथि *30.04.1982* थी और विचाराधीन दुर्घटना *30.06.1999* को हुई थी। यह भी साबित होता है कि *10+2* की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, एनडीए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र और गवर्नमेंट पॉली-टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अंबाला में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास की थी। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि मृतक का करियर शानदार था, लेकिन प्रतिवादी नंबर *2* द्वारा लापरवाही से बस चलाने की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से उसका जीवन कम हो गया था। दुर्घटना के कारण अपीलार्थी-दावेदार को हुआ नुकसान वास्तव में चौंकाने वाला और अपूरणीय है। जीवन में ऐसी घटनाएँ अनिश्चितकालीन मनोवैज्ञानिक आघात हैं और जिन्हें समय बीतने के साथ भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है, बल्कि अंतिम समय तक बनी रहती हैं। निश्चित रूप से, धन के संदर्भ में मुआवजा कानूनी प्रतिनिधियों को हुए नुकसान का पूर्ण विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी अदालतें कानून के मापदंडों के भीतर कुछ सांत्वना प्रदान करने का प्रयास करती हैं।

(पैरा 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 4-बीमा कंपनी के विद्वत वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि मृतक की कोई वास्तविक आय नहीं थी, इसलिए प्रणय सेठी के मामले

का लाभ (उपर्युक्त को दावेदार-अपीलार्थी तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जा सकता है, जो एसएलपी (सिविल 22134 ऑफ 2016 शीर्षक हेम राज बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, 22.11.2017 को तय किया गया था और उसी का संचालन निम्नानुसार हैः "मामले को पहले बड़ी पीठ के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो अब 2017 में रिपोर्ट किया गया है। (13) स्केल 12-नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणयसेथी और अन्य।अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त निर्णय के आलोक में भविष्य की संभावनाओं के लिए अनुमानित आय में 40% की वृद्धि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है क्योंकि मृतक की आयु 40 वर्ष थी।बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आय के वास्तविक साक्ष्य के अभाव में भविष्य की संभावनाओं के कारण जोड़ने का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है जहां आय अनुमान कार्य द्वारा निर्धारित की जाती है।हमारा विचार है कि जहां आय का सकारात्मक साक्ष्य है और जहां न्यूनतम आय किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमान कार्य पर निर्धारित की जाती है, वहां अंतर नहीं हो सकता है। दोनों स्थितियाँ एक ही आधार पर खड़ी हैं। तदनुसार, वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय में 40% का जोड़ किया जाना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल ने 50% जोड़ दिया है जबकि उच्च न्यायालय ने इसे हटा दिया है।

नतीजतन, हेम राज के मामले (ऊपर) को देखते हुए दावेदार-अपीलकर्ता प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के लिए 40% के अतिरिक्त का हकदार है। (पैरा 14)

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता रहीश पाहवा।

मनोज के. सांगवान, डीएजी, हरियाणा।

राजेश दुहान, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए।

वंदना मल्होत्रा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4-बीमा कंपनी की ओर से।

महावीर सिंह सिंधु, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) वर्तमान अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत अपीलार्थी के पुत्र रविकांत की मृत्यु के कारण मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर की गई है।

(2) अपीलार्थी-दावेदार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कैथल के समक्ष दावा याचिका दायर की (संक्षेप में 'द एक्ट' के लिए) (संक्षिप्त में 'ट्रिब्यूनल' के साथ इस कथन के साथ कि वह पुंड्री की निवासी है और प्रधानाध्यापिका, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मोहना, जिला कैथल के रूप में तैनात है। 30.06.1999 को स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर पुंड्री वापस आ रही थी और मृतक पिलियन सवार था, तो रास्ते में वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए सड़क पर रुकी और पास के खेतों में चली गई। मृतक मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, फिर इस बीच एक हरियाणा रोडवेज बस नंबर एचआर-45-646 (संक्षिप्त में "आपत्तिजनक बस") कैथल की ओर से

प्रतिवादी नंबर 2-बलबीर सिंह द्वारा बहुत उतावले और लापरवाही से चलाया गया और मोटरसाइकिल के साथ-साथ मृतक को भी टक्कर मार दी और उसके सिर, पैर और हाथ आदि सहित शरीर पर कई चोटें आईं और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। तुरंत मृतक को सरकारी अस्पताल, पुंड्री ले जाया गया और उसके बाद उसे सिविल अस्पताल, कैथल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने 30.06.1999 को दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन पुंड्री में आईपीसी की धारा 279,304-ए के तहत प्राथमिकी संख्या 306 दिनांक 30.06.1999 दर्ज की गई थी। मृतक 17 वर्ष का था और 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र और सरकारी पॉली-तकनीकी संस्थान, अंबाला के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अंतिम संस्कार और परिवहन शुल्क पर Rs.20,000/- खर्च किए गए।

(3) दावा याचिका के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ने संयुक्त लिखित बयान दायर किया और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उल्लंघन करने वाली बस की लापरवाही और लापरवाही के कारण दुर्घटना से इनकार किया और प्रस्तुत किया कि वास्तव में उल्लंघन करने वाली बस के चालक ने मृतक को बचाने की कोशिश की, जो बहुत तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा था।

(4) प्रत्यर्थी नंबर 2-बलबीर सिंह (चालक) ने अलग से जवाब दायर किया और दावा याचिका की सामग्री से इनकार किया और उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वास्तव में मृतक बहुत उतावलेपन और लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहा था और वह अचानक से दुल्यानी की ओर से आया और उल्लंघन करने वाली बस को टक्कर मार दी, जिसका दुर्घटना के समय प्रत्यर्थी नंबर 4 के साथ बीमा किया गया था।

(5) प्रत्यर्थी संख्या 4-बीमा कंपनी ने दावा याचिका की सामग्री को अस्वीकार करते हुए अलग से जवाब दायर किया, प्रस्तुत किया कि न तो अपीलार्थी मोटरसाइकिल चला रहा था और न ही दुर्घटना के समय उसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस था; बल्कि यह मृतक है, जो खुद मोटरसाइकिल चला रहा था।

(6) प्रत्यर्थियों के उत्तरों के जवाब में अपीलार्थी-दावेदार द्वारा अलग-अलग प्रतिकृतियां दायर की गईं और दावा याचिका की सामग्री को दोहराया गया।

(7) दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वत अधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किएः- "1. क्या दुर्घटना का कारण बस पंजीकरण संख्या एचआर-45-646 की लापरवाही से गाड़ी चलाना था, जैसा कि प्रत्यर्थी नंबर. 2 ने आरोप लगाया है। ओ पी पी

2. यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो क्या रविकांत की मृत्यु दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। यदि हां, तो क्या दावेदार हुक्मी देवी मुआवजे के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने की हकदार हैं और यदि हां, तो किस राशि से और किससे? ओ पी पी

3. क्या बीमित व्यक्ति ने बीमा पॉलिसी की किसी अवधि और शर्त का उल्लंघन किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा? ओ पी पी (बीमा कंपनी)

4. राहत "।

(8) दावा याचिका की सामग्री को साबित करने के लिए, अपीलार्थी-हुक्मी देवी स्वयं पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुईं और दावा याचिका में किए गए कथनों को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 173 सीआरपीसी (प्रदर्शनी पी8) के तहत एफआईआर (प्रदर्शनी पी5) रिपोर्ट के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था। आगे अपदस्थ किया गया कि मृतक 17 वर्ष की आयु का था और एक प्रतिभाशाली छात्र था क्योंकि वह पहले ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए; क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र और सरकारी पॉली-टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अंबाला के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और मैट्रिक प्रमाण पत्र Ex.P7 के साथ पूर्व P1 से पूर्व P4 के रूप में प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की थीं, जिसमें मृतक की जन्म तिथि 30.04.1982 दर्ज की गई थी। आगे अपदस्थ किया गया कि मृतक को कैथल से पुंड्रिय तक ले जाने के लिए परिवहन पर 5,000 रुपये खर्च किए गए और अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार पर 15,000 रुपये खर्च किए गए। विशेष रूप से अपदस्थ किया गया कि उसके पास दुर्घटना के समय एक वैध लाइसेंस है, जो कैथल से जारी किया गया था और इस सुझाव से इनकार किया कि वह दुर्घटना के समय मौजूद नहीं थी या उसके पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उन्होंने इस सुझाव का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि मृतक मोटरसाइकिल को जल्दबाजी और लापरवाही से चला रहा था।

(9) मूल चंद, शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मोहना, आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुए और अपदस्थ किया कि शुरू में आधे दिन की छुट्टी का आवेदन अपीलार्थी द्वारा किया गया था और बाद में, इसे पूरे दिन में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी (बी. ई. ओ.) द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। अवकाश आवेदन की प्रति पूर्व पी9 के रूप में दर्ज है और उपस्थिति रजिस्टर का प्रासंगिक पृष्ठ पूर्व आर2 है।

(10) प्रत्यर्थी नंबर 2-बलबीर सिंह (चालक) आरडब्ल्यू-2 के रूप में पेश हुआ और बयान दिया कि संबंधित समय पर वह आपत्तिजनक बस चला रहा था और जब यह गांव मोहना के क्षेत्र के पास पहुंची, तो लिंक रोड के किनारे से एक मोटरसाइकिल आई, जिसे लापरवाही से चलाया गया था। जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि उसने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में उच्च अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया। हालाँकि उन्होंने कहा है कि महाप्रबंधक-प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक आवेदन दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की। आरडब्ल्यू-2 का ड्राइविंग लाइसेंस पूर्व आर1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उल्लंघन करने वाली बस का कवर नोट पूर्व आर3 होता है।

(11) लर्नड ट्रिब्यूनल ने जारी किए गए नंबर 1 का निर्णय लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी ने विधिवत साबित कर दिया है कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी मोटरसाइकिल पर अपने स्कूल जाती थी और वह अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल जाती थी। विद्वत अधिकरण ने यह भी देखा कि दुर्घटना के तथ्य को उल्लंघन करने वाली बस के चालक-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया गया है और इसी दुर्घटना में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उतावलापन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई और इस प्रकार, अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध मुद्दा संख्या 1 का निर्णय लिया गया।

(12) विषय संख्या 2 और 3 का निर्णय करते समय, विद्वत अधिकरण ने पाया कि मृतक की आयु 17 वर्ष थी और उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इस प्रकार, अधिनियम की धारा 163-ए के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मृतक की अनुमानित आय का आकलन 15,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में किया गया। स्वयं मृतक के व्यय के लिए 1/3 की कटौती करने के बाद, '15' का गुणक लागू किया और 1,50,000/- रुपये के मुआवजे की गणना की। (Rs.10000 x 15). इसके अलावा, मृतकों के परिवहन के साथ-साथ उपचार के लिए 2,000 रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च और अंतिम संस्कार के लिए 8,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। लर्नड ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज भी दिया।

(13) चूंकि विद्वत अधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के चालन अनुज्ञप्ति में या उल्लंघनकारी बस के कवर नोट में कोई दोष नहीं पाया, इसलिए सभी प्रत्यर्थी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ब्याज सहित 1,60,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराए गए।

(14) अपीलार्थी-दावेदार के विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्वत अधिकरण द्वारा दिया गया प्रतिकर बहुत निम्न पक्ष पर है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया कि विद्वत अधिकरण ने सरला वर्मा (श्रीमती और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए '18' के स्थान पर '15' के गुणक को लागू करते समय त्रुटि की। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी-दावेदार राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ अन्य शीर्षों के तहत मुआवजे के मद्देनजर भविष्य की संभावनाओं का हकदार है।

(15) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आक्षेपित पुरस्कार न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि चूंकि मृतक की कोई वास्तविक आय नहीं है, इसलिए, दावेदार-अपीलकर्ता प्रणय सेठी के मामले के अनुसार किसी भी भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे का हकदार नहीं है (ऊपर और अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(16) दोनों पक्षों को सुना और कागजी-पुस्तक का अध्ययन किया।

(17) स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थियों ने मूल अपील या प्रति-आपत्तियों के माध्यम से विवादित पुरस्कार को चुनौती नहीं दी है। इस न्यायालय के समक्ष भी मुद्दा संख्या 1 और 3 पर निष्कर्षों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है। नतीजतन, इन मुद्दों पर निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

(18) वर्तमान अपील में विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु हैः-वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में दिया जाने वाला "न्यायसंगत मुआवजा" क्या होना चाहिए?

(19) अपीलार्थी-दावेदार ने विधिवत साबित किया है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 17 वर्ष थी क्योंकि उसकी जन्मतिथि 30.04.1982 थी और विचाराधीन दुर्घटना 30.06.1999 को हुई थी। यह भी साबित होता है कि 10+2 की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, एनडीए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र और गवर्नमेंट पॉली-टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अंबाला में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास की थी। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि मृतक का करियर शानदार था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लापरवाही से बस चलाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण उसका जीवन कम हो गया। दुर्घटना के कारण अपीलार्थी-दावेदार को हुआ नुकसान वास्तव में चौंकाने वाला और अपूरणीय है। जीवन में ऐसी घटनाएँ अनिश्चितकालीन मनोवैज्ञानिक आघात हैं और जिन्हें समय बीतने के साथ भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है, बल्कि अंतिम समय तक बनी रहती हैं। निश्चित रूप से, धन के संदर्भ में मुआवजा कानूनी प्रतिनिधियों को हुए नुकसान का पूर्ण विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी अदालतें कानून के मापदंडों के भीतर कुछ सांत्वना प्रदान करने का प्रयास करती हैं।

(20) हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 4-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि मृतक की कोई वास्तविक आय नहीं थी, इसलिए, प्रणय सेठी के मामले का लाभ (उपरोक्त दावेदार-अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एसएलपी (सिविल 22134 ऑफ 2016 शीर्षक हेमराज बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, 22.11.2017 को तय किए गए एसएलपी (सिविल 22134 ऑफ 2016) में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए तर्क को खारिज किया जा सकता है और उसी का संचालन निम्नानुसार हैः -

"इस मामले को पहले बड़ी पीठ के फैसले का इंतजार करने के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब 2017 में दी गई है (13) स्केल 12-नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त निर्णय के आलोक में भविष्य की संभावनाओं के लिए अनुमानित आय में 40% की वृद्धि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है क्योंकि मृतक की आयु 40 वर्ष थी।

बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आय के वास्तविक साक्ष्य के अभाव में भविष्य की संभावनाओं के कारण जोड़ने का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है जहां आय अनुमान कार्य द्वारा निर्धारित की जाती है।

हमारा विचार है कि जहां आय का सकारात्मक साक्ष्य है और जहां न्यूनतम आय किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमान कार्य पर निर्धारित की जाती है, वहां अंतर नहीं हो सकता है। दोनों स्थितियाँ एक ही आधार पर खड़ी हैं। तदनुसार, वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय में 40% का जोड़ किया जाना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल ने 50% जोड़ दिया है जबकि उच्च न्यायालय ने इसे हटा दिया है।

(21) परिणामस्वरूप, हेम राज के मामले को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त दावेदार-अपीलार्थी प्रणय सेठी के मामले (उपर्युक्त) के संदर्भ में अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ मुआवजे के लिए 40% के अतिरिक्त का हकदार है।

(22) चूंकि मृतक अपनी मृत्यु के समय 17 वर्ष का था, इसलिए सरला वर्मा के मामले को देखते हुए (ऊपर, '15' के बजाय '18' का गुणक आकर्षित किया गया है।

(23) अतः क्षतिपूर्ति की निम्नलिखित राशियाँ "न्यायसंगत क्षतिपूर्ति" होंगी जिसके लिए अपीलार्थी-दावेदार वर्तमान मामले में हकदार हैः-

मृतक की वार्षिक काल्पनिक आय 15,000/-

स्व-व्यय के लिए 1/3 घटाएं 15,000-5,000/- = 10,000

'भविष्य की संभावनाओं के लिए 40%' 4,000/-

भविष्य की संभावनाएँ जोड़ें '10,000 +' 4,000 = '14,000

'18' का गुणक लागू करें-14,000 x 18 = 2,52,000/-

पारंपरिक शीर्ष, अर्थात् संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार व्यय ' 15,000 + 40,000 + 15,000 = 70,000

कुल मुआवजा '2,52,000/- +' 70,000 = '3,22,000/-

देय मुआवजा' 3,22,000/- (पहले से भुगतान किए गए मुआवजे को घटाएं)

(24) मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष होगी।

(25) राशि के वितरण की शेष शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।

(26) आक्षेपित पुरस्कार के उपरोक्त संशोधनों के साथ, वर्तमान अपील की अनुमति है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा